न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/94 दायरा दिनांक : 01.07.2024

उनवान

कान्ती बाई पत्नी जानकीलाल, जाति धाकड, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. पप्पू लाल वल्द कन्हीराम
2. मदन लाल वल्द कन्हीराम
3. शिव सिंह वल्द कन्हीराम, जातियान धाकड़, निवासीयान सामिया
4. मोहन लाल वल्द रामनारायण
5. हरि सिंह वल्द रामनारायण, जातियान धाकड़, निवासीयान सामिया
6. रत्तीराम वल्द रामप्रताप
7. प्रकाश चन्द वल्द शिवसिंह
8. भगवान सिंह वल्द सालगराम
9. मान सिंह वल्द सालगराम
10. प्रहलाद सिंह वल्द सालगराम
11. राजकुमार उर्फ राजेश वल्द हरि सिंह, जातियान धाकड, निवासीयान सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज.
12. सालगराम वल्द कंवर लाल
13. रामप्रताप वल्द बद्री लाल
14. चुन्नी लाल वल्द बद्री लाल, जातियान धाकड़, निवासीयान सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड राज.
15. आई. सी. आई. सी. आई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, थाना भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ राज.
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज.
17. रतन लाल पुत्र रामप्रताप, जाति धाकड़, निवासी सामिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज.

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री योगेन्द्र गौतम अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हुकम चन्द कुमावत एवं श्री अमितोषाचार्य अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 4, 5, 6, 8, से 14 व 17 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 15.07.2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 85/2022/प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 24.01.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी. पी. सी. पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सामिया, तहसील सुनेल की आराजी खाता संख्या नया 221 पुराना 169 के खसरा नं. 515/681 रकबा 0.2909 हेक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.2909 हेक्टर एवं ग्राम सामिया, तहसील सुनेल की आराजी खाता संख्या नया 218 पुराना 171 के खसरा नं. 468 रकबा 0.1897 हेक्टर, खसरा नं. 472 रकबा 0.1012 हेक्टर, खसरा नं. 50 रकबा 0.5564 हेक्टर, खसरा नं. 515 रकबा 0.2023 हेक्टर, खसरा नं. 516 रकबा 2.4155 हेक्टर, खसरा नं. 516/682 रकबा 0.0885 हेक्टर, खसरा नं. 517 रकबा 0.7841 हेक्टर, खसरा नं. 518 रकबा 0.0632 हेक्टर, खसरा नं. 519 रकबा 0.5311 हेक्टर, खसरा नं. 520 रकबा 0.0506 हेक्टर, खसरा नं. 522 रकबा 0.0885 हेक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 5.0711 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 24.01.2023 से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपील प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के आदेश दिनांक 24.01.2023 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध पेश की जा रही है। माल ग्राम सामिया, पटवार हल्का गादिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड की आराजी खाता संख्या नया 221 पुराना 169 के खसरा नम्बर–515/681 रकबा 0.2909 हैक्टेयर कुल किता एक की कुल रकबा 0.2902 हैक्टेयर आराजी स्थित है। जो कि अपीलार्थीया के नाम जमाबंदी खातेदारी में दर्ज है व काबिज काश्त है। साथ में ही लगी हुई कृषि भूमि खाता संख्या नया 218 पुराना 171 के कुल किता 11 की कुल रकबा 5.0711 हैक्टेयर आराजी स्थित है। मद नम्बर–02 व 03 में वर्णित आराजीयात अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्ट के शांमलाती पैतृक आराजी होकर पारिवारिक सुविधानुसार बंटवारा कर मौके पर काबिज काश्त है तथा अपनी अपनी आराजी हिस्से में तार फैसिंग कर बाउंड्री कर रखी है तथा अपनी अपनी सुविधानुसार काबिज काश्त करते चले जा रहे हैं। मद नम्बर–02 में वर्णित खसरा नं.–515/681 रकबा 0.2909 हैक्टेयर आराजी अपीलार्थीया के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा नकल नक्शा ट्रेस व रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थीया ही एक मात्र काबिज काश्त करती चली आ रही है अप्रार्थिया को उक्त कृषि भूमि अपने ससुर जी पूरीलाल व बुआ मोरबाई से जर्ये रजिस्ट्री खरीद प्राप्त हुई है। मद नम्बर–02 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर–515/681 पर अपीलार्थीया का हक अधिकार है तथा अपीलार्थीया ने उक्त आराजी पर विकास व मवेशियों से अपनी फसल की सुरक्षा की दृष्टि से तार फेन्सिंग

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कर रखी है। तार फेन्सिंग किये हुए लगभग 10 साल से भी अधिक का समय हो गया है किन्तु आज तक किसी प्रकार की बाधा व परेशानियां उत्पन्न नहीं हुई, ना ही वाद विवाद उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 515/681 मे समीप ही रेस्पोडेंट की कृषि भूमि जो मद नम्बर–03 में वर्णित है स्थित है। प्रत्यर्थीगण अपनी समीप की भूमि पर कृषि जोत कार्य हेतु बलपूर्वक बिना विधिक बंटवारे के विवादग्रस्त आराजी जो अपीलार्थीया की है जिससे होकर जाना चाहते हैं क्योंकि प्रत्यर्थीगण के पास पूर्व से ही अपनी अपनी कृषि भूमियों पर आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। किन्तु अपीलार्थीया को आर्थिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य मात्र से जान बूझकर लडाई झगडा व झूठी मनगढंत कहानी बनाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं जिससे अपीलार्थीया परेशान व तंग होकर माननीय न्यायालय हाजा पिडावा में धारा 188, 209 राज.टी, एक्ट का वाद प्रस्तुत किया जो अभी विचाराधीन है।

अपीलार्थीया ने वाद के साथ ही प्रत्यर्थीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने बाबत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका निस्तारण दिनांक 24–01–2023 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहकर कि उक्त आराजी पर अपीलार्थीया व प्रत्यर्थीगण सह खातेदारान है तथा विधिक रूप से विभाजन करवाने अपीलार्थीया बिना अस्थाई निषेधाज्ञा प्रत्यर्थीगणों के विरुद्ध प्राप्त नहीं कर सकती तथा अधीनस्थ न्यायालय यदि अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी करता है तो अपूरणीय क्षति कारित होगी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मनन व चिन्तन के उक्त आदेश प्रदान किया गया है क्योंकि यदि प्रत्यर्थीगण को कोई क्षति या नुकसान कारित होता है तो वो भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय में रास्ता चाहने व विधिक विभाजन के लिये धारा 53 व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में अनुतोष प्राप्त कर सकते थे। किन्तु प्रत्यर्थीगणों द्वारा किसी भी अनुतोष के लिये आवेदन नहीं किया गया इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगणों को कोई क्षति कारित होने की संभावना हो रही है ,हो सकती है। अपीलार्थीया की सोच व उददेश्य कभी प्रत्यर्थीगणों को क्षति व हानि पहुंचाने की नहीं रही है तथा ना ही रास्ता बन्द करने का प्रश्न उठता क्योंकि पूर्व से ही प्रत्यर्थीगणों के पास आने जाने का रास्ता उपलब्ध है। ना ही उक्त प्रकरण में माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल का कोई जवाब मंगवाना उचित ही नहीं समझा, ना ही स्पष्टीकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सुनेल द्वारा चाहा गया है। अपीलार्थीया अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से व्यथित हुई है, क्योंकि अपीलार्थीया यदि प्रत्यर्थीगण से परेशान नहीं होती तो धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अनुतोष प्राप्त करने माननीय अधीनस्थ न्यायालय मे संस्थित नहीं होती तथा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुतोष नहीं चाहती किन्तु अपीलार्थीया अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर माननीय न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर रही है जो कि पोषनीय है। अपीलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील पेश कर अनुतोष चाहा गया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय आदेश व संलग्न रिकार्ड का अवलोकन कर पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश प्रदान करें जिससे अपीलार्थीया को उचित लाभ प्राप्त

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हो सके जिसकी अपीलार्थीया हकदार व अधिकारिणी है तथा विधिक प्रक्रिया का अनुसरण हो सके व अपीलार्थीया के अधिकारों का संरक्षण हो सके। अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपील की मद नम्बर–02 में वर्णित आराजी पर प्रत्यर्थीगणों की दखलंदाजी बन्द हो व साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2023 को खारिज फरमाते हुए अपीलार्थीया को अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि अपीलार्थीया की माल ग्राम में कृषि आराजी ग्राम सामिया, पटवार हल्का गादिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड में खाता संख्या नया 221 पुराना 269 में खसरा नं.–515/681 व खाता संख्या नया 218 पुराना 171 में खसरा नं. 468, 472, 50, 515, 516, 576/682, 517, 518, 519, 520, 522 कृषि आराजी स्थित है। जिस पर अपीलार्थीया राजस्व रेकार्ड में खातेदार रेकार्ड दर्ज है। अपीलार्थीया अपने हिस्से व हक पर निर्वाद रूप से शान्तिपूर्वक काश्त करती चली जा रही है तथा अपने हिस्से व हक पर तार बाउंड्री भी कर रखी है। किन्तु रेस्पोडेन्टगण द्वारा जबरन बलपूर्वक अपील की मद नम्बर–03 में वर्णित अपनी कृषि आराजी पर कृषि कार्य करने हेतु एवं द्वेषता के चलते खडी फसल से कृषि यंत्र व आने जाने हेतु रास्ते की माँग करके अपीलार्थीया को सारे दिन तंग व परेशान करने की नियत से लडाई झगडा करते आये हैं इसके विरूद्ध अपीलार्थीया/वादीया ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के यहां एक वाद अर्न्तगत धारा 188, 209 राज. टी. एक्ट व रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण के विरुद्ध अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनन व विचार ना कर यह आदेशित करते हुए कि अपीलार्थीया व रेस्पोडेंटगण सह खातेदारान है। इसलिए वादिया/अपीलार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्राप्त नहीं कर सकती प्रार्थना पत्र को खारिज फरमा दिया जो कि न्याय नियमों के विरूद्ध होने से काबिल निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेंट की कृषि आराजी पर आने जाने के लिए परम्परागत व पुराना रास्ता खसरा नं. 516 के समीप ही दक्षिण दिशा की ओर कांकड स्थित है जहाँ से परम्परागत तौर पर बिना किसी बाधा के अपने अपने कृषि भू–भाग पर निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। किन्तु रेस्पोडेन्टगण अपनी सह खातेदारी का फायदा उठाकर अपीलार्थीया को परेशान करने की नियत मात्र से अपीलार्थीया के हक व हिस्से की कृषि आराजी से जोर जबरदस्ती बिना विधिक प्रक्रिया के रास्ता निकालने पर आमादा है। ऐसी सूरत मे माननीय अधीनस्थ विद्वान न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया वाद की गंभीरता को देखते हुए अपीलार्थीया/वादीया के पक्ष

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिये थी जो ना करके माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व आदेश में घोर त्रुटि की है जो प्रथम दृष्टया काबिल निरस्त होने योग्य है।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर नहीं किया गया है कि वास्तविक अपूर्णीय क्षति किस पक्षकार को कारित है क्योंकि यदि रेस्पोडेंट को वास्तविक अपूर्णीय क्षति कारित होती तो. न्यायालय के समक्ष बंटवारा या रास्ते के लिये उपस्थित होते और अनुतोष की मांग करते जबकि वादीया/अपीलार्थीया को होने वाले आर्थिक अपूर्णीय क्षति के कारण वादीया/अपीलांट माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ उपस्थित हुई और अनुतोष चाहा गया था जो कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर कि वादीया/अपीलांट व रेस्पोडेंट सह खातेदारान है एवं रेस्पोडेंट को आने जाने के लिए वादीया/अपीलांट के हक व हिस्से से नजदीक व समीप पडता है केवल इसी आधार पर वादीया/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करना न्याय व नियमों के विरूद्ध है। जबकि रेस्पोटेंटगण के पास पूर्व में ही समीप ही सरकारी कांकड में आने जाने का रास्ता मौजूद है। जिसका उपयोग उपभोग प्राचीनकाल से रेस्पोडेंट करते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया कि रेस्पोडेंट जानकर व द्वैषता से नुकसान करने की मंशा से वादीया /अपीलांट के हक व हिस्से पर नवीन मार्ग जबरन बनाना चाहते हैं जिससे कि अपीलांट को सारवान नुकसान कारित हो सके माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल इस बिन्दु पर की अपीलांट व रेस्पोडेंट सह खातेदारान है अपीलार्थीया/वादीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो कि प्रथम दृष्टया काबिल निरस्तनीय होने योग्य है। अतः अपीलार्थीया द्वारा लिखित अन्तिम बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीया की अपील मय खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2023 को खारिज फरमाते हुए पुनः प्रतिप्रेषित कर रेकार्ड व मौके की उचित जांच करने के आदेश मननीय अधीनस्थ न्यायालय को फरमाने की कृपा करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीया/प्रार्थिया के समान ही रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण सह–खातेदार हैं। अपीलार्थीया ने जानबूझकर सभी सह–खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाकर उनके पुत्रगण को पक्षकार बनाया हैं। जब तक सभी सह–खातेदार माननीय न्यायालय में पक्षकार बनकर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर विधि के अनुसार प्राप्त नहीं होता हैं। अपील दोषयुक्त (विकार युक्त) होने से पोषणीय नहीं होकर काबिल खारिज है। अपीलार्थीया ने अपने अपील के समस्त चरणों में तार–फैसींग, पारिवारिक बंटवारा एवं रास्ते को लेकर कथन किया है तथा प्रार्थिया का उद्देश्य, दूषित सोच, रास्ता बन्द करने, अवरोध करने, की रही है। जबकि

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलार्थीया/प्रार्थिया एवं रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण सह–खातेदार हैं। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रत्येक खातेदार को सह–खातेदारी की आराजी पर हक दृष्टभाग, अंशबिस्वा भूमि में आने जाने का अधिकार है। जब तक कि विधिवत बंटवारा होकर अलग–अलग खाता कायम नहीं हो जाता है। तब तक प्रार्थिया/अपीलार्थीया धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार नहीं है क्योंकि अपीलार्थी/प्रार्थिया अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट के द्वारा की जाने वाली काश्त में अवरोध, रोक लगाना चाहती है। मौके पर तार–फैसींग नहीं हो रही है। जहां अपीलार्थी तार फैसिंग का वर्णन करती है वह स्थान जानवरों से सुरक्षा के लिए है। वर्तमान में प्रार्थिया/अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट्स सह–खातेदार होने से काश्त कर रहे हैं तथा अपनी सुविधा अनुसार प्रत्येक सह–खातेदार अपने हक हिस्से की आराजी पर आसानी से पहुँच रहे हैं। जिसमें कोई रोक, अवरोध किसी भी सह–खातेदार द्वारा नहीं लगाई गई हैं। इस कारण अपीलार्थी/प्रार्थिया कानून की रोशनी में रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण सह–खातेदारों के विरूद्ध धारा 188 आर. टी. एक्ट एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कोई भी राहत, प्राप्त नहीं कर सकती हैं। अपीलार्थीया द्वारा पेश अपील विधि विरूद्ध होने से तथा सह–खातेदार के हक अधिकारों पर कुठाराघात करने एवं हक अधिकारों पर रोक, अवरोध लगाने की सोच से पेश की गई है। इस कारण अपील पोषणीय नही हैं। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पूर्ण सुनवाई कर विधि की पालना में सही एवं उचित आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया हैं। जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही हैं। माननीय विचारण न्यायालय का आदेश परिपूर्ण आदेश हैं। उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार, सह–खातेदार को हानि उत्पन्न नहीं हो रही है। अपीलार्थीया अपील पेश कर तथा इस पर माननीय न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट्स सह–खातेदारों के विरूद्ध एवं उनके समक्ष कठिनाई उत्पन्न करना चाहती है तथा आदेश की आड़ लेकर अपीलार्थीया/प्रार्थिया विवाद को जन्म देना चाहती हैं।

यदि अपीलार्थीया/प्रार्थिया को अपना हक हिस्सा कब्जा, काश्त सीमा भाग सुरक्षित एवं अलग दर्ज करवाना है तो उसे विधिवत रूप से बंटवारा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर ही अपीलार्थीया/प्रार्थिया अपने एकल खातेदारी में दर्ज भूमि भाग पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र माननीय विचारण न्यायालय में पेश करने के लिए स्वतन्त्र है। इसके अभाव में अपीलार्थीया/प्रार्थिया के द्वारा पेश अपील एवं प्रार्थना पत्र पर अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नहीं है। इस कारण अपील चलने योग्य नहीं है। खारिज किया जावें। अपीलार्थीया ने माननीय विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रमांक 12–सालगराम वल्द कवरलाल, 13– रामप्रताप वल्द बद्रीलाल, 14– चुन्नीलाल वल्द बद्रीलाल को प्रतिवादी के रूप में संयोजित नहीं किया है तथा अपील में इन तीनों के नाम जोडे गये हैं। तीनों को पक्षकार बनाने का कोई उचित कारण दर्शित नहीं किया है। इस कारण अपील डिफैक्टिव

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हैं, अपील चलने योग्य नहीं हैं। अपीलार्थीया/प्रार्थिया ने अपने द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं अपील के चरण कमाक 02, 05, 07 एवं प्रार्थना पत्र के अनुतोष में मात्र खसरा नं. 515/681 क्षेत्रफल 0.2909 हेक्टर का अनुतोष की मांग की है तथा सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर अपना कब्जा काश्त का होना वर्णन किया है, गलत है। इस खसरा सं. 515/681 में 2/19 ही अपीलार्थीया/प्रार्थिया के खातेदारी में दर्ज हैं तथा राजस्व नक्शा में अपीलार्थीया /प्रार्थिया का 2/19 भाग का इन्द्राज अलग दर्ज नहीं है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड के अभाव में अपीलार्थीया/प्रार्थिया कोई भी राहत प्राप्त नहीं कर सकती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र जिसे माननीय विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है। इसका भी अवलोकन किया जाना माननीय न्यायालय के लिए आवश्यक है। अतः रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थीगण लिखित बहस पेश कर माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर माननीय विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24/01/2023 को यथावत रखते हुए। अपील का निस्तारण करने की कृपा करें।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम सामिया तहसील सुनेल जिला झालावाड की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 221 की खसरा नं. 515/681 रकबा 0.2909 हेक्टर भूमि एवं खाता संख्या 218 की कुल किता 11 कुल रकबा 5.0711 हेक्टर भूमि स्थित है। खसरा नं. 515/681 रकबा 0.2909 हेक्टर, आराजी प्रार्थिया के कब्जे काश्त में है एवं प्रार्थिया काश्त करती चली आ रही है। उक्त आराजियात प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण की शामलाती पैतक आराजी होकर पारिवारिक सेटलमेंट व सुविधानुसार अपने हक व अधिकार अनुसार बंटवारा कर रखा है एवं काबिज काश्त है तथा अपनी अपनी आराजी के तार फेंसिंग बाउण्ड्री कर रखी है। प्रार्थिया द्वारा उक्त आराजियात को अपने ससूर पूरीलाल जी व बुआ मोरबाई से विक्रय पत्र से क्रय कर अपने नाम दर्ज करवायी है। जिसपर अप्रार्थीगण ताकत के बल पर जबरन रास्ता कायम करना चाह रहे है जबकि वादग्रस्त आराजी के लगवा अप्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का सनातनी रास्ता आज भी कायम है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि मूल वाद के निस्तारण होने तक उक्त विवादित आराजी पर में प्रार्थिया के कब्जे काश्त में व्यवधान कारित ना करे एवं यथास्थिति बनाये रखकर किसी प्रकार का रास्ता कायम नहीं करें।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 24.01.2023 में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि ग्राम सामिया तहसील सुनेल की जमाबंदी संवत

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2073–76 के 221 की आराजी खसरा नं. 515/681 रकबा 0.2909 हेक्टर एवं खाता संख्या 218 की आराजी कुल किता 11 रकबा 5.0711 हेक्टर भूमि प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामलाती खातेदारी की भूमि में प्रत्येक खातेदारान का उनके हिस्से अनुसार हक व अधिकार होता है। ऐसे में प्रार्थिया अपने खातेदारी व हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा कराये बिना सहखातेदारों के विरूद्ध निषेधाज्ञा पाने का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकती है। इस प्रकार प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया केस नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में नहीं है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अपूरनीय क्षति की संभावना सभी पक्षकारान को होगी। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी ग्राम सामिया, तहसील सुनेल संवत 2073–2076 के अनुसार खसरा नं. 515/681 रकबा 0.2909 हेक्टर विवादित आराजी प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जब तक सहखातेदार की आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता तब तक सहखातेदारी की आराजी के प्रत्येक इंच भू भाग पर सभी सहखातेदारों का समान रूप से हक व अधिकार निहित होता है। अतः विवादित आराजी खसरा नं. 515/681 रकबा 0.2909 हेक्टर अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण की सहखातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रार्थिया अपीलांट सहखातेदारों के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के अनुरूप होने से हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/07/2025

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा